

R 428-I 12

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. / /

विषय :— आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।


पक्षकार —

श्री चमरुलाल उम्र 70 वर्ष पिता श्री काशीराम मसराम जाति (गौड़ आदिवासी) निवासी—130/1, ग्राम देवरीकला, तह. कुण्डम जिला जबलपुर

विरुद्ध —

अनावेदक

1. रवि अग्रवाल
पिता स्व. मोतीचंद अग्रवाल
(गैर आदिवासी) निवासी 363/9, केंट सदर बाजार,
जबलपुर
2. म.प्र.शांसन द्वारा कलेक्टर जबलपुर



अपील अंतर्गत धारा ३५(५) म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 के तहत

125 JAN 2017

माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 27/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दि. 03/11/2016 (Innexeure.1) से व्यक्ति होकर म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा ३५(५) के तहत यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री चमरुलाल उम्र 70 वर्ष पिता श्री काशीराम मसराम जाति (गौड़ आदिवासी) निवासी—130/1, ग्राम देवरीकला, तह. कुण्डम जिला जबलपुर द्वारा ग्राम खूंडा प.ह.नं. 23 रा.नि.म. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 70, 77, 78/2 रकवा क्रमशः 1.400, 0.960, 0.390 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकवा 2.750 हेक्टेयर भूमि रवि अग्रवाल पिता स्व. मोतीचंद अग्रवाल (गैर आदिवासी) निवासी 363/9, केंट सदर बाजार, जबलपुर जमीन का विक्रय करने का अनुबंध किया गया है गैर आदिवासी व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 428-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१९-१७	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/अ-21/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 9-1-17 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 9-1-17 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैटवी में निरस्त किया गया है। अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायालय में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये। अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है।</p> <p>3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम झुंडा प.ह.नं. 23 (बड़खेरा) रा.नि.मं. इमर्लै तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 70 एकड़ा 1.400, खसरा नं. 77 एकड़ा 0.960</p>	(M)


स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>एवं खसरा नं. 78/२ रक्षा 0.390 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति सदस्य प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा हत्यादि के अवलोकन से, स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमियां हैं शासन से प्राप्त भूमियां नहीं हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त विभिन्न ग्रामों में लगभग 4.07 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाड़ लाडन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है। चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 9-1-17 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम दुड़ा प.ह.नं. 23 (बड़खेरा)रा.नि.मं. हमलई तहसीलकुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 70 रक्षा 1.400, खसरा नं. 77 रक्षा 0.960 एवं खसरा नं. 78/२ रक्षा 0.390 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति सदस्य प्रत्यर्थी</p>	(M) (M)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्य मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – अपील 428-एक/17

जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>क्रमांक -1 को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-</p> <p>1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाहड लाईन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।</p> <p>2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी ।</p> <p>3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाहड लाईन की मान से किया जायेगा ।</p> <p>अपील तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p style="text-align: right;">  (एम.आर.सिंह) संवाद्य, राजस्य मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर </p> <p style="text-align: left; margin-left: 100px;">  </p>	